



# BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 23 सितम्बर 2023

थाना डिबाई

## गैंगस्टर द्वारा धोखाधड़ी कर नौकरी लगवाने के नाम पर पैसा की ठगी जैसी घटनाएं करके अर्जित सम्पत्ति कीमत लगभग 87 लाख, 78 हजार, 500 रुपये कुर्क की गयी-

जिलाधिकारी बुलन्दशहर के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 23.09.2023 को एसडीएम डिबाई एवं क्षेत्राधिकारी डिबाई द्वारा थाना डिबाई पुलिस टीम व थाना रामघाट पुलिस टीम को साथ लेकर लोगों से धोखाधड़ी कर नौकरी लगवाने के नाम पर पैसा की ठगी करने वाले गैंगस्टर 1- **भूपेन्द्र कुमार व 2- लोकेश उर्फ बबलू उर्फ बदलुआ पुत्रगण राम अवतार सिंह निवासीगण ग्राम दौगवां थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर** द्वारा समाज विरोधी क्रिया-कलाप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित कर क्रय की गयी अचल सम्पत्ति (अनुमानित कीमत 87,78,500/- रुपये) को गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जब्त किया गया है।

### भूपेन्द्र कुमार व लोकेश उर्फ बबलू उर्फ बदलुआ की जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण-

- 1- 01 मकान (क्षेत्रफल 659 वर्ग मीटर) (कीमत करीब 45 लाख 20 हजार)
- 2- कृषि भूमि (1.26 हेक्टेयर) (कीमत करीब 42 लाख 58 हजार 500 रुपये)
- 2- कुल कीमत 87,78,500 रुपये।

### अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार व लोकेश उर्फ बबलू उर्फ बदलुआ का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 691/22 धारा 147/323/341/506/120बी/419/420/171/467/468/471/386/504 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 11/23 धारा 386/506/419/420/467/468/471/171 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 14/23 धारा 419/420/386/506/467/468/471/171 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

### कार्यवाही करने वाली प्रशासन/पुलिस टीम का विवरण-

- 1- श्री दीपक कुमार एसडीएम डिबाई
- 2- श्री अजय कुमार क्षेत्राधिकारी डिबाई
- 3- श्री छोटे सिंह प्रभारी निरीक्षक डिबाई मय पुलिस टीम।
- 4- श्री नरेश कुमार थाना प्रभारी रामघाट मय पुलिस टीम।



मीडिया सैल बुलन्दशहर